संख्या-46/2019/3078/60-2-19-2/1(26)12टीसी-।

प्रेषक,

गया प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 01 अक्टूबर, 2019**

विषय : अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के अपग्रेडेशन के अन्तर्गत पुराने विभागीय आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था एवं शौचालय निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-619/बा.वि.परि./अपग्रे0/2019-20 दिनांक 19 अगस्त, 2019 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 में आंगनवाड़ी केन्द्रों के अपग्रेडेशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 1380.00 लाख (रूपये तेरह करोड़ अस्सी लाख मात्र) के सापेक्ष 16 जनपदों के 916 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था एवं 948 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय निर्माण कराये जाने हेतु संलग्नक के अनुसार केन्द्रांश रू0 1,23,21,600.00 एवं राज्यांश रू0 82,14,400.00 कुल धनराशि रू0 2,05,36,000.00 (रू0 दो करोड़ पॉच लाख छत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन जनपदवार अपग्रेडेशन कार्य के निर्धारित लक्ष्य/प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र भवन के अपग्रेडेशन लागत के आधार पर किया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा तथा उक्त धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृति धनराशि का व्यय प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार चिन्हित आंगनबाड़ी केन्द्रों के विद्युतीकरण हेतु निर्धारित मानकों/ निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत विद्युतीकरण कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
5. योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाईड लाईन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
7. अपग्रेडेशन कार्यों के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा अपग्रेडेशन कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए अपग्रेडेशन कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानक/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आहरित की जायेगी।
9. प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
10. प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में योजना की गाइड लाइन एवं नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
11. धनराशि के आहरण के पूर्व निर्विवाद भूमि उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
12. जनपदों को उक्त प्रस्ताव के अनुसार धनराशि आवंटित करते हुए निर्देशित किया जाएगा कि जिला कार्यक्रम अधिकारी आगणन के अनुसार धनराशि विद्युत विभाग को उपलब्ध कराएं तथा समस्त कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करायें।
13. कार्य की प्रगति की सूचना शासन को निदेशक, आईसीडीएस की संस्तुति सहित मासिक रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
14. आहरित धनराशि की उपयोगिता की स्थिति से ससमय अवगत कराया जाय।
15. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अधीन लेखाशीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0127-आंगनवाड़ी केन्द्रों का अपग्रेडेशन -25-लघु निर्माण कार्य (के060/रा040-के+रा)' के नामे डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त विभाग के अ0शासकीय पत्र संख्या-ई-4-790/दस-2019, दिनांक 26 सितम्बर, 2019 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(गया प्रसाद)
विशेष सचिव।

संख्या-46/2019/3078(1)/60-2-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग/वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गया प्रसाद)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in